(12)

	Water and Power Research Station, Pune	
2.	Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune	—Member
3.	A Group 'A' Officer from other Central Government Department	—Member

[F. No. 2/3/2002-E. II]

S. K. KATARIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 53.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, समूह 'क' और समूह 'ख' (इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक) पद भर्ती नियम, 1966 को, जहां तक उनका संबंध निदेशक पद से है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, निदेशक भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वें होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक	01* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4 : 37400—67000 रु. + ग्रेड वेतन 10000 रु.	चयन	लागू नहीं होता

536 GI/13-8

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।	**प्रोन्नतिः** ऐसे अपर निदेशक जिनकी वेतन बैंड-4, वेतनमान 37400-67000 रुपये + ग्रेड वेतन 8900 रुपये में दो वर्ष की नियमित सेवा है जिसके न हो सकने पर एक वर्ष सेवा कर चुके ऐसे अपर निदेशक जिनकी मूल काडर या विभाग में संयुक्त निदेशक और अपर निदेशक श्रेणियों में चार वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा है । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिनहोने अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति :** (जिसके अंतगर्त अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या लोक उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त या संविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-4 के वेतनमान 37400-67000 रुपये + ग्रेड वेतन 8900 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वहाँ दो वर्ष नियमित सेवा की है ; या

(11)

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-4 के वेतनमान 37400-67000 रुपये + ग्रेड वेतन 8900 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वहां तीन वर्ष नियमित सेवा की है ; और

(ख) जिनके पास द्रव इंजीनियरी या द्रविक विन्यास या जल संसाधन या तटीय इंजीनियरी के क्षेत्र में या द्रविक अनुसंधान के अन्य क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान का अनुभव है ।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 से पहले या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलयन एक ग्रेड में साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां इस लाभ का विस्तार केवल ऐसे पद (पदों) के लिए किया जाएगा जो बिना किसी उन्नयन के ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव या अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य 3. सदस्य (डिजाइन और अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 2/22/98-ई. II]

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

New Delhi, the 20th February, 2013

G.S.R. 53.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Water and Power Research Station, Pune, Class I and II (Engineering and Scientific) Posts Recruitment Rules, 1966 in so far as they relate to the post of Director, in Central Water and Power Research Station, Pune, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Director, in Central Water and Power Research Station, Pune in the Ministry of Water Resources, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Director Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale: — The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.:—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification. —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director	01*(2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-4, Rs. 37400—67000 plus Grade Pay Rs. 10000	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputationor absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(10)	(11)
By Promotion failing which by deputation including short-term contract	**Promotion :** Additional Director in the scale of pay of Rs. 37400-67000 with grade pay Rs. 8900 in pay band - 4 with 2 years regular service in the grade failing which Additional Director with four years combined regular service in the grades of Joint Director and Additional Director with atleast 1 year service in the grade of Additional Director in the parent cadre or department. **Note 1**: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2**: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to first January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation (Including Short Term Contract):— Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organizations : A (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (II) with 2 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 37400-67000+ grade pay of Rs. 8900 in pay band - 4 or equivalent in parent cadre or department; or (III) with 3 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 37400-67000+ grade pay of Rs. 8700 in pay band -4 or equivalent in parent cadre or department; and (B) having experience in applied research in the field of hydraulic or hydraulic structures or water resources or coastal engineering or other areas of hydraulic research. The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration

	(11)
	for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. Period of deputation Including Short Term Contract including the period of deputation or Short Term Contract in another ex-cadre post held immediately recedin this appointment in the same or some other organization or department of Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. **Note :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental promotion committee for Considering Promotion, Consisting of : 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Secrctary or Additional Secretary, Ministry of Water Resources —Member 3. Member (Design and Research), Central Water Commission —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F. No. 2/22/98-E. II]

S. K. KATARIA, Under Secy.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(सीमा सड़क विकास बोर्ड सचिवालय)

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 54.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सड़क विकास बोर्ड (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1990 को (जो भारत के राजपत्र तारीख 2 जून, 1990 में अधिसूचना संख्यांक 342 द्वारा प्रकाशित की गई थी) उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हो या करने का लोप किया गया है, सीमा सड़क विकास बोर्ड में बहु कार्य कर्मचारिवृन्द के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—